| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील/डिक्री/3723/2003/अलवर<br>जयसिंह बनाम मुखाराम | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| 07-6-2022 | **खण्डपीठ**<br>**श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य**<br>**श्री सत्तार खां, सदस्य**<br>**उपस्थित–**<br>श्री माधवराज अभिभाषक अपीलान्ट<br>श्री जगदम्बा प्रसाद अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट<br><br>विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है और जिसके प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा विलम्ब का कारण अंकित नहीं किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक आदेश दिनांक 18–05–2015 की पालना में कोस्ट की राशि अदा नहीं करने के कारण प्रकरण अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज किया जावे।<br><br>अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा समयावधि में कायम मुकाम की कार्यवाही कर दी गई और दिनांक 18–5–2015 द्वारा कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिए जा चुके है। अतः अबेटमेन्ट के आधार पर प्रकरण खारिज नहीं किया जावे।<br><br>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब का कारण अंकित नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 14–5–2007 बाबत् कायम मुकाम तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 2–2–2011 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सशर्त स्वीकार कर कोस्ट की राशि अदा करने के आदेश प्रदान किए गए, परन्तु आज दिनांक तक अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा खण्डपीठ के आदेश दिनांक 18–5–2015 की पालना नहीं करने के कारण एवं विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र 90 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलान्ट को अवसर देना उचित नहीं समझते है।<br><br>परिणामतः प्रकरण को अबेटमेन्ट के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।<br><br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(सत्तार खां) सदस्य — (भंवर सिंह सान्दू) सदस्य | |